5/

न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेडा जिला भीलवाडा(राज.)

अजा अदालत उपखण्ड अधिकारी बनेडा मुकाम बनेडा

श्री मांगु पिता गोमा ओड वगै **बनाम** सोहन ओड वगै0

किस्म मुकदमा ....प्रा.पत्र 212 आर.टी.एक्ट...न. 43 सन् 2011

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकमा जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
10.06.2017	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत 2017 केम्प मुकाम बरण में पेंश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी द्वारा प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजीयात ग्राम रूघनाथपुरा पटवार हल्का बरण भू0अ0निरीक्षक बनेडा तह. बनेडा जिला भीलवाडा में स्थित नवीन नम्बरान खतौनी संख्या 145 **आराजी सख्यां 547 रकबा 00–03 बीघा** आराजीयात जो वर्तमान में प्रार्थीगण एंव विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 12 नाम संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र बहस करनी चाहने से, बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कथन कर निवेदन किया कि वाद ग्रस्त आराजीयात साबिक रेकार्ड में प्रार्थीगण के पिता के नाम पर दर्ज थी, जिस पर प्रार्थीगण के पिता की मृत्यूपरांन्त प्रार्थीगण काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। विवादित आराजियात में विपक्षीगण का कोई हक अधिकार नही है। यदि भविष्य में विपक्षी संख्या 1, से 12 द्वारा वादग्रस्त आराजीयात भूमि का विकय, अन्तरण, हस्तान्तरण, रहन, बक्षीस आदि करते है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षती होगी एंव वाद व प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का कोई ओचित्य ही नही रह जावेगा। अतः प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षीगणो को रेकार्ड एंव मौके कि यथास्थिती बनाये रखने बाबत पांबद किये जाना फरमावें। प्रकरण के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि यदि विपक्षीगण पुश्तैनी आराजीयात का अन्तरण कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से प्रार्थीगण के हक प्रभावित होगें। इसके अतिरिक्त सुविधा व संतुलन की दृष्टी को मध्यनजर रखते हुए भी प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष प्रथमदृष्टया बनता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र इस प्रकार स्वीकार किया जाता है की प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित आराजीयात में सें ग्राम रूघनाथपुरा पटवार हल्का बरण भू0अ0निरीक्षक बनेडा तह. बनेडा जिला भीलवाडा में स्थित नवीन नम्बरान खतौनी संख्या 145 **आराजी सख्यां 547 रकबा 00–03 बीघा** में राजस्व रेकार्ड एंव मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु विपक्षीगण संख्या 01 से 12 को अस्थायी निषेधाज्ञा से मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैशल शुमार हो तथा मूल वाद के साथ नत्थी रहे। उपखण्ड अधिकारी बनेडा जिला भीलवाडा	